

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Uttarakashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under scheduled tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarakashi district, constituted under FRA.

2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarakashi on date 12/12/14 at time 2.00 PM. at Uttarakashi in which application claiming rights in civil land area measuring 3.15 hect for the construction of Moter Road Construction of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarakashi
Dated:.....

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarakashi.

कायदा
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लीगिनिंग, बड़कोट।

पत्रांक 1636/4 प्रोस्ट
दिनांक 03 / 12 / 2014

सेवाई,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय:- वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम मैं आप को अवगत करवाना है कि निम्न मोटर मार्गों में वर्तमान प्रस्तावों पर वनअधिकार 2006 के अनुसार आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाती समूह व कृषि समुदाय प्रभावित नहीं हो रहे है। का प्रमाण पत्र सलन होना है। जिसमें आप के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।

- (1) नौगाँव रूखी मोटर मार्ग के किस्मी बँड से रस्ताही कण्डाई मोटर मार्ग का निर्माण।
- (2) एन0 एच0 से रिखाई तक मोटर मार्ग।
- (3) कसलाना से चौपड़ा मोटर मार्ग।
- (4) गंगाली पुल (सरनील) से सरवाडियार मोटर मार्ग।
- (5) कुशनौर से हलना मोटर मार्ग।
- (6) बड़कोट चौधारी (छटगा) बँड से गुलालगांव तक मोटर मार्ग।

अतः आप से अनुरोध है, कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के वनअधिकार नियम 2006 के अधीन किसी वनजाति आदिकालीन कृषि समुदाय की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है का प्रमाण पत्र निर्मित करने की कृपा करें।

संलग्न:- स्वयं वनअधिकार समिति बड़कोट द्वारा वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र।

3-12-14
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लीगिनिंग
बड़कोट

FORM-1
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.
Nauغان, Suri motor Marg from Kimi Band to Rastari
Kandao Motor Marg.
No. 19/254.....
Dated. 12/12/14

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.15 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** in Uttarakashi District falls within jurisdiction of **Rastari/Kandao** village in **Barkot** Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3-15 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and

pragmatic agricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

—: හා ල පැවැත්වේ

Kh-milk duk lak laklaklak

प्रमाणित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है।

जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रमाणित हो रहे हैं। परिवर्तन के निर्माण से किसी अनुरोधित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परिवर्तन के निर्माण में ग्राम समाजों द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। वन अधिकार वप जिलाधिकारी/अधिक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित

जनपद-बल्लभपुर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित परिवर्तन के 2.51 हेक्टर वन भूमि प्रयाक्ता एन-सी को प्रस्तावित किये जाने हेतु 2.51 हेक्टर वन भूमि

किसी भी दावा लंबित नहीं है।

—/03

[illegible]

कौन से दो प्रकार के अन्तःप्रकाश होते हैं ?
 प्रकीर्णित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश।
 प्रकीर्णित प्रकाश वह प्रकाश है जो बिना किसी कारण के अचानक से बिखर जाता है।
 परावर्तित प्रकाश वह प्रकाश है जो किसी सतह से टकराकर वापस आता है।

[illegible][illegible]

பெரிய கிணறு

अनुसंधान जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

21456, ନିକଟସ୍ଥତା ହେଉଛି ହଜୁରୀ

[illegible]

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की जिली भूमि प्रमाणित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाए।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोज्य।
एडमिनी की उपलब्ध करायी जायेगा।

[illegible]

बर्ग के उपरान्त आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि गांधी जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके जीवन व कार्य को जनजागरण के माध्यमों से आम जनता के बीच फैलाना और उनका प्रतिभावान् एवं उत्कृष्ट विकास करना।

कक्षा / कक्ष कायदा का पालन करने वाले छात्रों को प्रशंसा पत्र देकर और अन्य छात्रों को शिक्षित करके।

[illegible]

कठक

5.2.1.1 के अन्तर्गत 0.85 टन 9.55 रु के निर्माण है
 0.85 टन 9.55 रु के निर्माण है

710502 वि. वि.

बन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनाधिकृत प्रमाण-पत्र

—: ዘላለም ዘላለም ዘላለም

उप निवासीकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....

प्रतिनिधि : निवासीकारी, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

उप निवासीकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....

बैठक में सूचनाओं से उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के अन्तर्गत
को निर्माण हेतु 2.1.15
हो वन संप्रदाय एवं वन अधिकारों से अज्ञानता प्राप्त कर
प्रचारप्रसार कि वन पर सहमति व्यक्त की गयी।